ग्राम पंचायत बधोखरी, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के लेखों का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग—एक

1 **प्रस्तावना:—**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बधोखरी, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:—

प्रधान

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्रीमती जमना देवी	1.4.14 से 22.1.15
2	श्रीमती शान्ति देवी	23.1.15 से आगे

सचिव

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्रीमती बिमला देवी	1.4.2014 से 18.8.2014
2	श्री हरी दास	19.8.2014 से आगे

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:—

ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्रमांक	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7 (i)	अनुदान की राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	9.09
2	8 (i)	पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.03
3	10 (i)	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय/भुगतान करना	6.05
4	14 (ii)	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	5.15

भाग—दो

2 ग्राम पंचायत बधोखरी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाये गये है, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय, बधोखरी में किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 1/15, 03/16 व 01/17 तथा व्यय हेतु माह 04/14, 06/15 व 03/17 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वाँछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 **लेखा परीक्षा शुल्क:—**

ग्राम पंचायत बधोखरी के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक का अंकेक्षण ₹6000 बनता है। अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) के अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 64 दिनांक 27.6.2017 द्वारा यह राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—9 को भेजने हेतु अनुरोध कर दिया गया था।

4 **वित्तीय स्थिति:—**

(क) स्व स्त्रोतों एवं अनुदान:—

(i) ग्राम पंचायत बधोखरी के स्व स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014—15	505440.67	1373948	1879388.67	521120	1358268.67
2015—16	1358268.67	655666	2013934.67	644819	1369115.67
2016—17	1369115.67	1422066	2791181.67	1648894.20	1142287.47

परिशिष्ट "क"

(ख) इंदिरा आवास योजना (IAY)

ग्राम पंचायत बधोखरी के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014—15	117112.99	104443	221555.99	131227.50	90328.49
2015—16	90328.49	90327	180655.49	85200.00	95455.49
2016—17	95455.49	231332	326787.49	135617.25	191170.24

परिशिष्ट "क"

(ग) वाटरशेड:—

ग्राम पंचायत बधोखरी के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014—15	1156984.45	320695	1477679.45	936809.40	540870.05
2015—16	540570.45	155453	696323.05	147748.00	548575.05
2016—17	548575.05	337841	886416.05	293136.00	593280.05

परिशिष्ट "क"

(घ) मनरेगा:—

ग्राम पंचायत बधोखरी के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014—15	6548	753393	759941	757308	2633
2015—16	2633	471995	474628	471995	2633
2016—17	2633	540847	543480	540847	2633

परिशिष्ट "क"

5 **(i) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना:—**

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था तथा जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातो से मिलान करके बैंक समाधान विवरणी तैयार करनी अनिवार्य थी। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी का तैयार न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत

करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए। ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही (वित्तीय स्थिति) तथा बैंक खातों के अन्त शेष में निम्नविवरणानुसार ₹218952.10 का अन्तर दर्शाया गया जिसका समाधान शीघ्र करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	शीर्ष	रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.17 को शेष	दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंकों तथा हस्तगत शेष	अन्तर
1	स्व स्त्रोत तथा अनुदान	1142287.47	1324774.47	182487.00
2	इंदिरा आवास योजना	191170.24	188197.74	2972.50
3	वाटर शेड	593280.05	562420.45	30859.60
4	मनरेगा	2633.00	0.00	2633.00
			कुल योग	218952.10

दिनांक 1.4.14 को आरम्भिक शेषों का विवरण (as per Audited trial Balance 2013-14)

शीर्ष	बैंक/डाकघर का नाम	खाता संख्या	शेष
Own Source and Grant (सामान्य)	P.N. Bank Diggal	116300010006969	270700.60
	P.N. Bank Diggal	-	68.65
	JCC Bank Nalagargh	101334022000053	226543.76
	JCC Bank Nalagargh	101334022000029	950.00
	JCC Bank Nalagargh	101334022001492	4650.00
	JCC Bank Nalagargh	101334022001493	1000.00
	JCC Bank Nalagargh	101334022007577	99.00
	JCC Bank Nalagargh	----	141.26
	P.O. Diggal	----	607.40
	Cash in hand	---	680.00
	Total		**505440.67**
IWMP-I	P.N. Bank Diggal	11631000100534329 as per Bank Pass book	1156537.45
	Cash in hand	----	447.00
	Total		1156984.45
IAY	PN. Bank Diggal	1163000100040367 as per Bank Pass Book	117112.99

G.P. Bdhokhari

	Cash in hand	----	0.00
	Total		117112.99
Mgnrega	PN Bank Diggal	11630001000527091	6548.00
SJRY	Cash in hand		0.20

दिनांक 31.3.2017 को अन्तिम शेषों का विवरण

शीर्ष	बैंक/डाकघर का नाम	खाता संख्या	शेष
Own Source and Grant	P.N. Bank Diggal	116300010006969	94255.40
	P.N. Bank Diggal	-	68.65
	JCC Bank Nalagargh	101334022000053	1222841.76
	JCC Bank Nalagargh	101334022000029	950.00
	JCC Bank Nalagargh	101334022001492	4650.00
	JCC Bank Nalagargh	101334022001493	1000.00
	JCC Bank Nalagargh	101334022007577	99.00
	JCC Bank Ramshahas	----	141.26
	P.O. Diggal	----	607.40
	Cash in hand	---	161.00
	Total		1324774.47
IWMP-I	P.N. Bank Diggal	11631000100534329	562420.45
	Cash in hand	----	0.00
	Total		**562420.45**
IAY	PN. Bank Diggal	1163000100040367 (as per P.B.)	188197.74
	Cash in hand		0.00
	Total		188197.74
MGNREGA	PN Bank Diggal	11630001000527091	0.00
SGRY	Cash in hand		0.20

नोटः— दिनांक 31.3.2017 को बैंकों में अन्तिम शेष पंचायत सचिव द्वारा प्रमाणित किये गये है।

(ii) बैंक के अन्तिम शेष सम्बन्धी अनियमितताएं:—

बैंक तथा डाक घर खातों में दिनांक 31.3.2017 को जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना:—

कई बार आग्रह करने के पश्चात भी निम्नलिखित बैंकों/डाक घर में दिनांक 31.3.2017 को उनमें जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र बैंकों से प्राप्त करके अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। इस कारण इन खातों में दिनांक 31.3.2017 को दर्शाए गए

G.P. Bdhokhari

शेषों के सही होने सम्बन्धी पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

बैंक का नाम	खाता संख्या	31.3.2017 को जमा राशि
PN Bank Diggal	----	68.65
JCC Bank Nalagarh	101334022000029	950.00
JCC Bank Nalagarh	101334022001492	4650.00
JCC Bank Nalagarh	101334022001493	1000.00
JCC Bank Nalagarh	101334022007577	99.00
JCC Bank ramshehr	------	141.26
PO Diggal	------	607.40

(iii) इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकरणों में शेषों में अन्तर पाया गया। स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही	रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 1.4.2014 को बैंक में शेष	तुलन पत्र (2013–14) के अनुसार दिनांक 31.3.2014/01.04.2014 को बैंक शेष	पास बुक के अनुसार दिनांक 31.3.14 को शेष
	102140.49	....	117112.99
मनरेगा	3966	6548	7555.00

(iv) दिनांक 11.7.14 को रोकड़ बही मनरेगा में बैंक का शेष ₹56076 के स्थान पर ₹34803 दर्शाया गया था। स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पंचायत में लेखों का समाधान नहीं किया जा रहा है। अतः लेखों के समाधान (Reconcil) हेतु उचित पग उठाये जाने आवश्यक है तथा लेखों का समाधान करके आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 रोकड़ बही के रख रखाव से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे–

(i) रोकड़ बहियों के रख रखाव बारे–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था। कई माहों के अन्त में नियमानुसार प्रधान द्वारा नियमित रूप से प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे। रोकड़ बही में कई प्रतिष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया था कटिंगस की गई थी तथा कई वाउचर्स पर प्रस्ताव संख्या नहीं लिखी गई थी। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधना व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1, 2 व 3) में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित कार्यवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये।

G.P. Bdhokhari

(ii) निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना:–

पंचायत की सामान्य रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हस्तगत रूप में निम्न विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। पंचायत में प्रत्येक प्राप्ति को बैंक में जमा करवाया जाना चाहिए था प्रत्येक भुगतान भी बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए तथा केवल Imprest की राशि को ही हस्तगत रखा जा सकता है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक	राशि
25.9.14 से 13.10.14	1272, 1119
21.01.16 से 17.03.16	2517, 1977, 1982, 1987, 1992, 2152

(iii) रोकड़ बही में हस्तगत रोकड़ शेष कम दर्शाना:–

रोकड़ बही (सामान्य) में निम्नानुसार गलत गणना के कारण ₹17 हस्तगत रोकड़ शेष कम दर्शाया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

दिनांक	वास्तविक शेष	जितना शेष दर्शाया गया था	जितना शेष कम दर्शाया गया था
31.3.15	947	935	12
8.6.15	268	263	5
		कुल योग	17

7 **अनुदान:–**

(i) निर्धारित अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित राशियों का उपयोग न करना:–

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ख")** के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹909133.35 शेष दर्शाई गई थी। इससे यह प्रतीत होता है कि अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप धन का अवरोध होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए

G.P. Bdhokhari

अन्यथा दिनांक 31.3.2017 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उनसे सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करना:—

खण्ड विकास कार्यालय द्वारा समय–2 पर ग्राम पंचायत को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु अनुदान जारी किये जाते है। निश्चित रूप से अनुदान की यह राशियाँ जारी करते समय खण्ड विकास कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश जारी किये जाते होंगे जिनमें जारी की गई राशियों उनके शीर्षों/निर्माण कार्यों आदि का स्पष्ट विवरण दर्ज होता होगा। परन्तु यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में खण्ड विकास कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय आदेशों/पत्रों का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान मांगने के उपरान्त भी यह पत्र/दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिस कारण विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु जारी की गई राशियों, उनके शीर्ष तथा निर्माण कार्य जिनके कार्यान्वन हेतु वे जारी की गई थी के सही होने की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख अनुदान रजिस्टर आदि जिसमें विभिन्न अनुदानों के शेषों तथा प्राप्तियों/भुगतानों का शीर्षवार विवरण दर्ज हो अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत भी नहीं किया गया जिस कारण विभिन्न अनुदानों के दिनांक 31.3.2017 को सही शेष बारे स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अभिलेख का रख रखाव करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाये तथा भविष्य में अभिलेख का नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 **पंचायत राजस्व की वसूली सम्बन्धी अनियमितताएं:—**

(i) पंचायत राजस्व (गृहकर) की ₹0.03 लाख की वसूली न करना:—

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नानुसार ₹2813 राजस्व (गृहकर) की कम वसूली की थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वसूली करके अनुपालना से आगामी पर अवगत करवाया जाए।

वित्त वर्ष	परिवारों की सं0	गृहकर का निर्धारित रेट (वार्षिक)	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान बकाया	कुल योग	वर्ष के दौरान प्राप्ति	बकाया गृहकर
2014–15	304	10	—	3040	3040	20	3020
2015–16	320	10	3020	3200	6220	6837	–617
2016–17	343	10	–617	3430	2813	0	2813

G.P. Bdhokhari

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा न तो दिनांक 1.4.2014 को बकाया गृह कर की राशि से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाई गई तथा न ही हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार फार्म 10 पर मांग एवं प्राप्ति अभिलेख प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त गृहकर के निर्धारण से सम्बन्धित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करवाए गए। जिस कारण दिनांक 1.4.14 को गृहकर की वसूली हेतु बकाया राशि तथा वसूली रेट के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त वांछित अभिलेख Update करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किय जायें।

(iii) शराब उपकर तथा भू–राजस्व की वसूली न करना:–

ग्राम पंचायत को 2015–16 तथा 2016–17 के दौरान शराब उपकर की तथा 2016–17 के दौरान भू–राजस्व की सम्बन्धित विभाग से प्राप्ति नहीं हुई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा शराब उपकर व भू राजस्व की वसूली सम्बन्धित विभागों से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 **निर्माण कार्यों सम्बन्धी अनियमितताएं:–**

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ग"** पर उपलब्ध की गई जानकारी के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:–

(i) परिशिष्ट द्वारा उपलब्ध जानकारी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार क्रम संख्या 9 (माह 04/14) में दर्शाए गए निर्माण कार्यों के भुगतान उनकी मूल्यांकन (Assessment) से अधिक राशि के तथा बिना तकनीकी प्राधिकारी के मूल्यांकन के बिना ही कर दिया गया था जोकि अनियमित है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसे सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

निर्माण कार्य का नाम	निर्माण पर किया गया व्यय	सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कार्य का मूल्यांकन	अधिक व्यय/बिना मूल्यांकन के व्यय
Land development Nasib chand Pandal Badhokhri	100000	99189	811
RRWH tank in Sohan Bdhokhri	58800	कार्य की मूल्यांकित राशि बारे जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई	58800

— 41 —

(ii) (क) अंकेक्षण के दौरान **परिशिष्ट "ग"** में वर्णित निम्नलिखित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रशासनिक/वित्तीय/तकनीकी स्वीकृतियाँ, प्राक्कलन/आंकलन तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाए।

परिशिष्ट "ग" के अनुसार	**निर्माण कार्यों की क्रम संख्या जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दर्शाई गई**	**निर्माण कार्यों की क्रम संख्या जिनके प्राक्कलन नहीं दर्शाए गए**	**निर्माण कार्यों की क्रम संख्या जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दर्शाई गई**	**निर्माण कार्य जिनके सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी work order नहीं दर्शाए गए**
माह 04/14	क्रम संख्या 6 से 8 तथा 10 से 12 की	क्रम संख्या 1 से 12 की	——	
माह 06/15	क्रम संख्या 4 की	——	——	
माह 03/17	क्रम संख्या 1 से 6 की	——	क्रम संख्या 1 (एक) की	क्रम संख्या 1 से 9

(ख) इसके अतिरिक्त IWMP के चयनित मासों से सम्बन्धित निर्माण कार्यों की प्रशासनिक/वित्तीय/तकनीकी स्वीकृतियाँ, प्राक्कलन/आंकलन तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं आदि पंचायत कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

(iii) परिशिष्ट **"ग"** में मनरेगा से सम्बन्धित निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत राशियाँ, इन निर्माण कार्यों पर व्यय की गई तथा तकनीकी अधिकारी द्वारा मूल्यांकित राशियाँ दर्शाई गई थी। कुछ प्रकरणों मे पाया गया कि इन निर्माण कार्यों पर जो राशियाँ व्यय की गई थी वे इन निर्माण कार्यों हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित (Shelf) शेल्फ में दर्शाई गई लागत से अधिक थी। उदाहरणार्थ अनुमोदित शेल्फ में **RRWH Rank** (श्री धर्म दत्त, टोची) हेतु अनुमानित लागत ₹58800 थी परन्तु इस निर्माण कार्य पर वास्तविक व्यय ₹69700 किया गया था। चर्चा के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि ग्राम पंचायत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु शेल्फ में लिखित अनुमानित लागत से कितना अधिक व्यय करने हेतु अधिकृत है। जिस कारण इस निर्माण कार्य पर किये गये ₹10900 (69700—58800) के अधिक व्यय की सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा उपरोक्त तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान निष्पादित अन्य निर्माण कार्यों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित (Shelf) शेल्फ में दर्शाई गई लागत से किये गये अधिक व्यय को सक्षम

G.P. Bdhokhari

प्राधिकारी से नियमित करवाया जाये अन्यथा सम्बन्धित लाभार्थी से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(iv) माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी (**material consumption statement**) पूर्ण रूप से नहीं बनाई जा रही थी। माप पुस्तिकाओं में तैयार की गई सामग्री उपयोग विवरणियों में केवल विभिन्न सामग्रियों की खपत दर्शाई जा रही थी। इनमें विभिन्न मदों में निर्माण सामग्रियों की **consumption** निकालने हेतु **consumption factors** का विवरण नहीं दिया जा रहा था। अतः भविष्य में सामग्री उपयोग विवरणी (**material consumption statement**) पूर्ण रूप से तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि निर्माण कार्यों में उपयोग की गई निर्माण सामग्रियों के सही उपयोग की पुष्टि की जा सके।

(v) यह भी पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में कुछ निर्माण कार्यों के आरम्भ तथा समाप्ति होने की तिथियों की प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी। जिस कारण निर्माण कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर निष्पादित कर दिये गये थे इस तथ्य की पुष्टि करना सम्भव नहीं होता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

(vi) ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 95 (1) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण नहीं किया जा रहा था। ग्राम पंचायत द्वारा न तो **register of technical checks and technical sanctioned estimates** का रजिस्टर **form-31** पर तैयार किया जा रहा था तथा न ही **estimates** की छाया प्रतियाँ **higher technical authority** को **submit** की जा रही थी जोकि अनियमित है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गए निर्देशों का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 **क्रय सम्बन्धित अनियमितताएं:—**

(i) औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹6.05 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार ₹604887 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। जिन कुछ प्रकरणों में अवतरनें (**quotations**) प्राप्त की गई थी वे न तो **diary** की गई थी तथा न ही क्रय **sub committee** (नियम 67 (3) द्वारा सत्यापित की गई थी। साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि कोटेशन्स सीलबंद भी नहीं थी जिस कारण कोटेशन्स संग्रहण उपरान्त क्रय

G.P. Bdhokhari

करने/कार्य करवाने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। निम्न प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों में भी इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हो सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ०सं०	राशि	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य (स्वस्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	06/15	3	2000	कम्पयूटर रिपेयर
		3	8160	रेत बजरी गटका
			13920	ढुलान निर्माण सामग्री
			1335	लडडू
	03/17	48	3000	बर्तन
			4620	टेबल
			4620	टेबल
			9100	अलमारी
			8558	फलोर मेट
			9555	कुर्सी
		49	2000	किराया
			13315	रेत, बजरी, ईंटें
			12036	रेत, बजरी आदि
			13385	रेत, बजरी आदि
			2880	मजदूरी
			13885	रेत, बजरी आदि
			4000 (1000X4)	सीमेंट किराया
		50	1600	एंटी वायरस
			3642	जी आई शीट आदि
			2000 (500X4)	फोटोग्राफी
			20000	पत्थर तथा किराया
		51	3720	रेत, बजरी
			2400	रेत, ढुलान
			1500	किराया जाली
			30198	जाली, एंगल आदि

G.P. Bdhokhari

			10000	मजदूरी, जाली फिटिंग
वाटर शेड	03/17	62	5333	स्टील
			12000	पत्थर
			9300	रेत, बजरी
	04/14	28	2936	रेत, बजरी, ढुलान
			8200	पत्थर
			8430	रेत, बजरी
			8200	रेत, बजरी
			9430	पत्थर
			8200	रेत, बजरी
		29	9430	पत्थर
मनरेगा	04/14	22	50415	गटका
			35604	पत्थर
			7836	पत्थर
			39970	पत्थर
			3374	रेत
			7728	रेत
			16500	रेत
			14865	रेत
			16000	रेत
			34497	पत्थर
		23	15417	रेत
			5976	रेत
			9994	रेत
			5892	रेत, बजरी
	03/17	43	25596	पत्थर
			4000	रेत
			2310	बजरी
			6400	रेत
			1974	बजरी
			6600	रेत
			4200	बजरी
			2312	स्टील
			2233	स्टील
			2306	स्टील
		कुल योग	604887	

G.P. Bdhokhari

(ii) इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा माह 03/17 (रोकड़ बही समान्य, पृष्ठ संख्या 48) में ₹27895 (4620+4620+9100+9555) का फर्नीचर क्रय किया गया था, परन्तु क्रय हेतु सक्षम प्राधिकरी की पूर्व स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई। अतः स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

11 भुगतानों के एवज में प्राप्त पावतियाँ प्रस्तुत न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों/व्यय की एवज में पावती प्राप्त की जानी अपेक्षित है। यह प्रतीत होता है कि इन निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से नहीं किया जा रहा है क्योंकि व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि क्रय किये गए मेटीरियल तथा अन्य भुगतानों हेतु सम्बन्धित फर्मों/कार्यालय से भुगतान की एवज में पावतियाँ प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित पावतियाँ अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में सभी भुगतानों/व्यय के एवज में पावतियाँ ली जानी सुनिश्चित की जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य (स्व स्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	06/15	3	2000	कम्पयूटर रिपेयर
	03/17	50	178	बिजली का बिल
वाटर शैड (IWMP)		28	10000	मस्टर रोल संख्या 575 में संत राम को ₹900 का भुगतान किया गया था परन्तु मस्टर रोल पर संत राम के हस्ताक्षर नहीं थे
मनरेगा	04/14	22	50415	गटका
			35604	पत्थर
			7836	पत्थर
			39970	पत्थर
			3374	रेत
			7728	रेत
			16500	रेत
			14865	रेत

		16000	रेत
		34497	पत्थर
	23	15417	रेत
		5976	रेत
		9994	रेत
		5892	रेत बजरी
03/17	43	25596	पत्थर
		4000	रेत
		2310	बजरी
		6400	रेत
		1974	बजरी
		6600	रेत
		4200	बजरी
		2312	स्टील
		2233	स्टील
		2306	स्टील

12 ग्राम पंचायत द्वारा आबंटित/जारी की गई ₹0.60 लाख के स्वीकृति पत्र तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में पाया गया कि निम्न लाभार्थियों को निजी शौचालय निर्माण हेतु निम्नानुसार ₹60000 जारी की गई थी। परन्तु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवास निर्माण कार्य हेतु जारी स्वीकृति पत्र तथा कार्य की समाप्ति के पश्चात जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न किये जाने के कारण निम्न दर्शाये गए व्यय के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्पष्टीकरण दिया जाये व अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि (₹)
IAY	03/17	36	12000
			12000
			12000
		37	12000
			12000
		कुल योग	60000

13 ₹411 का अधिक भुगतान करना:—

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पचांयत द्वारा गलत गणना के कारण निम्नानुसार ₹411 का अधिक भुगतान किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹411 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	किया गया भुगतान	जितना भुगतान बनता था	अधिक भुगतान	टिप्पणी/वितरण
मनरेगा	04/14	22	14685	14674	11	वा0सं0 8
IWMP	03/17	28	8200	7800	400	वा0सं0 11
				कुल योग	411	

14 स्टोर/स्टॉक:—

(i) प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाना:—

हिमाचल प्रदेश पचांयती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना:—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विभिन्न स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की प्राप्ति तथा जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ स्टॉक सामग्री रजिस्टर में नहीं की गई थी। निम्न प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों मे भी इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हो इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं।

G.P. Bdhokhari

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य (स्व स्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	06/15	3	8160	रेत बजरी गटका
	3/17	48	3000	बर्तन
			4620	टेबल
			4620	टेबल
			9100	अलमारी
			8558	फ्लोर मेट
			9555	कुर्सी
		49	13315	रेत बजरी ईंटें
			12036	रेत बजरी आदि
			13385	रेत बजरी आदि
			13885	रेत बजरी आदि
		50	1600	एंटी वायरस
			3642	जी आई शीट आदि
			2000 (500X4)	फोटोग्राफी
		51	3720	रेत बजरी
वाटर शेड	03/17	62	5333	स्टील
			12000	पत्थर
			9300	रेत बजरी
	04/14	28	2936	रेत बजरी ढुलान
			8200	पत्थर
			8430	रेत बजरी
			8200	रेत बजरी
			9430	पत्थर
			8200	रेत बजरी

		29	9430	पत्थर
मनरेगा	04/14	22	50415	गटका
			35604	पत्थर
			7836	पत्थर
			39970	पत्थर
			3374	रेत
			7728	रेत
			16500	रेत
			14865	रेत
			16000	रेत
			34497	पत्थर
		23	15417	रेत
			5976	रेत
			9994	रेत
			5892	रेत बजरी
	03/17	43	25596	पत्थर
			4000	रेत
			2310	बजरी
			6400	रेत
			1974	बजरी
			6600	रेत
			4200	बजरी
			2312	स्टील
			2233	स्टील
			2306	स्टील
		कुल योग	514654	

(iii) स्टॉक सामग्री रजिस्टर के रख रखाव बारे:–

स्टॉक सामग्री रजिस्टर (प्रारूप–6) में सीमेंट की प्राप्तियाँ तथा निर्माण कार्यों को जारी करने सम्बन्धी सभी प्रविष्टियाँ का सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्तम्भ (10) में सत्यापन नहीं किया गया था जिस कारण यह प्रविष्टियाँ विश्वविसनीय प्रतीत नहीं होती है। अतः इस बारे

G.P. Bdhokhari

— 50 —

स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

15 **विविधः—**

(i) रसीद बुक के इस्तेमाल से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे:—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा काउंट सर्टिफिकेट नहीं किया जा रहा था। रसीद बुकों का प्रयोग भी क्रमानुसार नहीं किया जा रहा था। एक समय में एक से अधिक रसीद बुकों का प्रयोग किया जा रहा था। अंकेक्षण के दौरान रसीद बुक रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण रसीद बुकों की प्रविष्टियों तथा उनके शेषों सम्बन्धी पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रसीद बुक रजिस्टर आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

(ii) सावधि निवेशः—

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचायत को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। यह प्रतीत होता है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिये गये निर्देशों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि ग्राम पंचायत को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।

(iii) बिल पारित करने सम्बन्धित निर्देशों का पालन न करनाः—

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे अधिकतम भुगतानों को केवल प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया गया था जोकि अनियमित है। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमें लिखते हुए संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए साथ में निम्नलिखित प्रकरणों बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही भी की जाए।

(iv) मस्टर रोल्स सम्बन्धी अनियमितताओं बारे:–

(क) मस्टंर रोल्स रजिस्टर के अनुसार मस्टर रोल संख्या 5756 दिनांक 26.10.2013 से 31.10.2013 तक जारी किया गया था परन्तु मस्टर रोल पर कार्य दिनांक 1 से 6 तक (₹10000 माह 03/17, पृष्ठ संख्या 28, सामान्य रोकड़ बही) किया गया दर्शाया गया था। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) यह भी पाया गया कि अधिकतम प्रकरणों में निर्माण समिति/**Village monitoring committee (vmc)** द्वारा निर्माण कार्यों का सत्यापन नहीं किया गया था । मस्टर रोल का **Part III** जिसमें भुगतान से पूर्व निर्माण कार्य की पैमाईश/अन्य विवरण भरा जाना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है यह नहीं किया जा रहा था। मस्टर रोल रजिस्टर में आवश्यक सम्पूर्ण विवरण भी नहीं भरा गया था। मस्टर रोल रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि कई मस्टरर रोल्स क्रमवार जारी नहीं किये गये थे। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(v) बजट आंकलन (Budget estimate) निर्धारित समय अवधि में पारित न करवाने बारे:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 37 की में दिये गये निर्देशों का अनुसरण पूर्णतया नहीं किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2014–15, 2015–16 व 2016–17 से सम्बन्धित बजट आंकलन निर्धारित समय (28 फरवरी से पूर्व) के भीतर पारित नहीं करवाया गया था। साथ ही बजट निर्धारित फार्म 11 पर नहीं बनाए गए थे। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बजट आंकलन निर्देशानुसार निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार/पारित करवाया जाना तथा विहित फार्म "11" पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vi) विहित रजिस्टरों के रख रखाव बारे:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान स्टेशनरी रजिस्टर (फार्म–28), **miscellaneous demand and collection register** (फार्म–10), अस्थाई अग्रिम रजिस्टर, (फार्म–9) **Register of bills received** (फार्म–13), **Stock register of non consumable articles** (फार्म–25), **Stock register of consumable**

52

articles other than stationary and printed material (फार्म–26), माप पुस्तिका रजिस्टर, रसीद बुक स्टोक रजिस्टर आदि कई बार मांगने के उपरान्त भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत होता है कि इनका रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त रजिस्टर आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए। भविष्य में उपरोक्त नियमानुसार रजिस्टर का रख रखाव तथा नियमित रूप से उनका **update** किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ग्राम पंचायत के अनुसार (रफ शीटस की पृष्ठ संख्या 3 पर) अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

16 **लघु आपत्ति विवरणिका:–** अलग से जारी नहीं की गई।

17 **निष्कर्ष:–** खातों में सुधार की आवश्यकता है।

Rakesh Kalra

(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881

12 DEC 2017

7177 – 7180

O/C

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(iv) 29/2017–खण्ड–1 दिनाँक शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नालागढ़ तहसील अर्की, जिला सोलन, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत बधोखरी विकास खण्ड नालागढ़, तहसील अर्की, जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

12 DEC 2017

Rakesh Kalra 12/12/17

(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
O/C फोन नं0–0177 2620881

परिशिष्ट "क"
पृष्ठ संख्या
पैरा-संख्या - 4 सी (संदर्भित)

Gram Panchayat Badhokhari Block Development Nalagarh District Solan HP					
Financial Position Own source and Various Grant from 01-04-2014 TO 31-03-2017					
Year	OPENING BALANCE (Rs)	RECEPIT (Rs)	Toal (Rs)	PAYMENT (Rs)	CLOSING BALANCE (Rs)
2014-15	505440.67	1373948.00	1879388.67	521120.00	1358268.67
2015-16	1358268.67	655666.00	2013934.67	644819.00	1369115.67
2016-17	1369115.67	1422066.00	2791181.67	1648894.20	1142287.47
Balance as per financial posititition as on 31-03-202017					1142287.47
Balance as per banks and cash in hand as on 31-03-2017					1324774.47
Difference in balance as per financial position and banks / cash in hand......					182487.00
Financial Position IAY from 01-04-2014 TO 31-03-2017					
2014-15	117112.99	104443.00	221555.99	131227.50	90328.49
2015-16	90328.49	90327.00	180655.49	85200.00	95455.49
2016-17	95455.49	231332.00	326787.49	135617.25	191170.24
Balance as per financial posititition as on 31-03-202017					191170.24
Balance as per banks and cash in hand as on 31-03-2017					188197.74
Difference in balance as per financial position and banks / cash in hand.					2972.5
Financial Position IWMP from 01-04-2014 TO 31-03-2017					
2014-15	1156984.45	320695.00	1477679.45	936809.40	540870.05
2015-16	540870.05	155453.00	696323.05	147748.00	548575.05
2016-17	548575.05	337841.00	886416.05	293136.00	593280.05
Balance as per financial posititition as on 31-03-202017 ....593280.05					
Balance as per banks and cash in hand as on 31-03-2017					562420.45
Difference in balance as per financial position and banks / cash in hand.					30859.6
Financial Position MGNREGA from 01-04-2014 TO 31-03-2017					
2014-15	6548.00	753393.00	759941.00	757308.00	2633.00
2015-16	2633.00	471995.00	474628.00	471995.00	2633.00
2016-17	2633.00	540847.00	543480.00	540847.00	2633.00
Balance as per financial posititition as on 31-03-202017 2633					
Balance as per banks and cash in hand as on 31-03-2017 ....0.00					
Difference in balance as per financial position and banks / cash in hand ----					2633

सचिव
ग्राम पंचायत बधोखरी
वि० ख० नालागढ़, जिला सोलन (हि०प्र०)

परिशिष्ट "ख" पैरा सं० 7 से सम्बन्धित

(23)

Gram Panchayat Badhokhari, Block Development Nalagarh, District Solan HP (Detail of grants)															
	2014-15					2015-16					2016-17				
GRANT	OPENING BALANCE	RECEPIT	Toal	PAYMENT	CLOSING BALANCE	OPENING BALANCE	RECEPIT	Toal	PAYMENT	CLOSING BALANCE	OPENING BALANCE	RECEPIT	Toal	PAYMENT	CLOSING BALANCE
13 TFC	88604.50	86236	174840.50	65833	109007.50	109007.5	0	109007.5	2000	107007.5	107007.5	0	107007.5	51833	55174.5
13 TFC ZP	19600.00	161700	181300.00	94811	86489.00	86489	0	86489	58532	27957	27957	0	27957	0	27957
BDC	0.00	71540	71540.00	16804	54736.00	54736	0	54736	54736	0	0	0	0	0	0
CDPO	150000.00	0	150000.00	0	150000.00	150000	0	150000	0	150000	150000	0	150000	178954	-28954
VKVNY	-88860.00	281800	192940.00	30786	162154.00	162154	107130	269284	276370	-7086	-7086	148000	140914	98100	42814
TSC Urinal	40000.00	0	40000.00	0	40000.00	40000	0	40000	0	40000	40000	0	40000	0	40000
VHSC	10000.00	0	10000.00	0	10000.00	10000	0	10000	0	10000	10000	0	10000	20000	-10000
DPO	88405.00	0	88405.00	89000	-595.00	-595	0	-595	0	-595	-595	0	-595	0	-595
महर्षि बाल्मीकि PRIZE	100000.00	0	100000.00	0	100000.00	100000	0	100000	0	100000	100000	0	100000	0	100000
ठोस एवं कूड़ा तरल प्रबंधन	0.00	500000	500000.00	0	500000.00	500000	0	500000	0	500000	500000	0	500000	494355	5645
IAY	7000.00	0	7000.00	0	7000.00	7000	0	7000	0	7000	7000	0	7000	0	7000
12th fc	1774.00	0	1774.00	0	1774.00	1774	0	1774	0	1774	1774	0	1774	0	1774
other grants with debit balance	-41548.80	0	-41548.80	0	-41548.80	-41548.8	0	-41548.8	0	-41548.8	-41548.8	0	-41548.8	0	-41548.8
other grants with credit balance	7983.85	0	7983.85	0	7983.85	7983.85	0	7983.85	0	7983.85	7983.85	0	7983.85	0	7983.85
14th fc	0.00	0	0.00	0	0.00	0	191567	191567	0	191567	191567	725225	916792	264909.2	651882.8
nirmmal priz	0.00	0	0.00	0	0.00	0	50000	50000	0	50000	50000	0	50000	0	50000
SBM	0.00		0.00		0.00			0		0	0	228000	228000	228000	0
Total	382958.55	1101276.00	1484234.55	297234.00	1187000.55	1187000.55	348697.00	1535697.55	391638.00	1144059.55	1144059.55	1101225.00	2245284.55	1336151.20	909133.35

नोट :- Detail 2014-15, 2015-16, 2016-17 की RD तथा Trail Bailance (29344) से बनाई गई है। Ledger update करके दिखा दिया जायेगा।

सचिव
ग्राम पंचायत बधोखरी
वि० ख० नालागढ़, जिला सोलन (हि०प्र०)

परिशिष्ट "ग"
(पृष्ठ संख्या 24 से 25)

Detail relating to developmental works executed by Gram Panchayat Badhokhari Development Block Nalagarh District Solan H P

Month		Name of Work	Head/ Scheme	Estimated/Technically financial sanctioned Amount by competent authority	Sanction letter no/ Date	Total Expenditure done on work till date	Assessed value of work till Dt. By the competent Technical authority	Status of work	MB No	Page No of MB	Remarks
Ap-14											
	1	c/o stone soling link road pandal in Badhokhri	MNREGA	100000.00	अगस्त-13	100000.00	100000.00	completed	12154,13072,	85,10	File in Block
	2	C/O Land Development Rameshwar Dass Ghat Dochi	MNREGA	100000.00	दिसम्बर-13	100000.00	100000.00	completed	12154,13072,	93,8	File in Block
	3	C/O Land Development Ram Sawroop Badhokhari	MNREGA	100000.00	दिसम्बर-13	100000.00	101802.00	completed	12154,13072,	98,6	File in Block
	4	C/O RRWH Tank Dhurm Datt Rug Dochi	MNREGA	69700.00	अक्तूबर-13	69700.00	69824.00	completed	12154,13072,	85,12	File in Block
	5	C/O RRWH Tank sanjeev kumar Tyamu Parla	MNREGA	100000.00	दिसम्बर-13	100000.00	100011.28	completed	12154,13072,	97,15	File in Block
	6	C/O RRWH Tank Rajeender singh v, Pandal	MNREGA	69700.00	फरवरी-12	69700.00	69836.00	completed	12154,13072,	89,5	File in Block
	7	C/O RRWH Tank Jiya Lal v. Tyamu Badhokhari	MNREGA	69700.00	दिसम्बर-13	69700.00	69790.00	completed	12154,13072,	90,1	File in Block
	8	C/O RRWH Tank Satish kumar Tyamu parla Baokhari	MNREGA	69700.00	सितम्बर-13	69317.00	69317.00	completed	12154,	84,96	File in Block
	9	C/O Land Development Nasib chand Pandal Badhokhari	MNREGA	100000.00	दिसम्बर-13	100000.00	99189.00	completed	12154,13072,	86,9	File in Block
	10	C/O RRWH Tank Satish kumar Pandal Baokhari	MNREGA	89000.00	सितम्बर-13	89000.00	89044.00	completed	12154,13072,	88,2	File in Block
	11	C/O RRWH Tank Sohan lal Badhokari	MNREGA	58800.00	सितम्बर-13	58800.00	chack	completed	12154	58,73	File in Block
	12	C/O RRWH Tank Nanak chand Badhokhari	MNREGA	58800.00	अगस्त-12	58800.00	59693.00	completed	12154	54,62	File in Block
Jun-15											
	1	C/O Land Development Sanjeev Kumar Tyamu.Badhokhari	MNREGA	100000.00	1409	34415.00	34415.00	completed	13072	27,33	Available
	2	C/O Land Development Kirpa Ram v.Kattal Badhokhari	MNREGA	55000.00	1405	57000.00	57104.00	completed	13072	32,38	Available
	3	C/O Land Development Deep Ram Ghat Dochi Badh	MNREGA	57000.00	1419	570000.00	57006.00	completed	13072	28,37	Available
	4	C/O Land Development Nanak Chand Kakkad dochi	MNREGA	57000.00	1412	55000.00	57002.39	completed	13072	28,39	Available
Mar-17											
	1	C/O Land Development Sandeep kumar yamu Badh	MNREGA	71500.00	1512	71500.00	71518.00	completed	13072	59,64	Available
	2	C/O RRWH Tank Gain chand Ghat Dochi Badhokhari	MNREGA	55000.00	1504	55000.00	55423.00	completed	13072	42,72	Available
	3	C/O RRWH Tank Ram chand v.Kattal Badhokhari	MNREGA	55000.00	1501	54426.00	54426.00	completed	13072	44.75	Available
	4	C/O RRWH Tank Sada Ram Tyamu Badhokhari	MNREGA	65000.00	1411	65000.00	65150.00	completed	13072	24,73	Available
	5	C/O Johari Near Dharm pal Land Ghat Dochi Badhok	MNREGA	38000.00	1618	8537.00	8537.00	On -Going	13072	79	Available
	6	C/O Johari NearPrdeep Samark Pandal Badhokhari	MNREGA	22300.00	1620	17680.00	17680.00	On -Going	13072	78	Available

सचिव
ग्राम पंचायत बधोखरी
वि० ख० नालागढ़, जिला सोलन (हि०प्र०)

TECHNICAL ASSISTANT
G.P. CIRCLE
DEV. BLOCK NALAGARH (SOLAN) H.P.

Watershed work exicute by Block Development Block

25

Detail relating to developmental works executed by Gram Panchayat Badhokhari Development Block Nalagarh District Solan H P

Month		Name of Work	Head/ Scheme	Estimated/Technically financial sanctioned Amount by competent authority	Sanction letter no/ Date	Total Expendi done on work till date	Assessed value of work till Dt. B the competent Technical authority	Status of work	MB No	Page No of MB	Remarks
Ap-14		....				NIL	....				No D.W
Jun-15		....				NIL	....				No D.W
Mar-17											
	1	c/o Retening wall Near Janj Ghar Badhokhari	p s	9000.00	1623	9000.00	9172.00	completed	7711	26	Available
	2	c/o vermicampost Krishan lal v. Tyamu Parla Badhokhari	T S C	30000.00	1604	30000.00	30011.00	completed	7711	21	Available
	3	c/o vermicampost Jaswant singh v. Tyamu Parla Badhokha	T S C	30000.00	1603	30000.00	30905.00	completed	7711	19	Available
	4	c/o vermicampost Ram chand v. Tyamu Parla Badhokhari	T S C	30000.00	1601	30000.00	30029.00	completed	7711	23	Available
	5	c/o vermicampost Satish kumar v. Tyamu Parla Badhokha	T S C	30000.00	1602	30000.00	30003.00	completed	7711	24	Available
	6	R/o Bouri Badhokhari G P Badhokhari	14 Fin.	50000.00	1615	50000.00	50293.16	completed	7623	5	Available
	7	R/O Racta(Kharonja) jokhti To S C Basti Pandal Badhokhar	14 Fin.	50000.00	1614	50000.00	53324.97	completed	7623	3	Available
	8	R/O Link Road Tyamu To Badhokhari	14Fin.	50000.00	1613	50000.00	50415.20	completed	7623	6	Available
	9	R/o Bouri Dattla G P Badhokhari	14 fFin.	50000.00	1616	On- Going		On- Going	On- Going	0	Available

सचिव
ग्राम पंचायत बधोखरी
वि० ख० नालागढ़, जिला सोलन (हि०प्र०)

TECHNICAL ASSISTANT
G.P. CIRCLE
DEV. BLOCK NALAGARH (SOLAN) H.P.

— 95 —